

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण --:बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :- 149 / 2023

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुक्म
की तामील
में जारी
हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23 प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कुड़की में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- कुड़की में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 208 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सन्तुदेवी पत्नी सन्तुराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम सन्तुदेवी पत्नी सन्तुराम के स्थान पर सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कुड़की में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- कुड़की में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 208 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सन्तुदेवी पत्नी सन्तुराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम सन्तुदेवी पत्नी सन्तुराम के स्थान पर सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- कुड़की में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 208 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि सन्तुदेवी पत्नी सन्तुराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम "सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण" दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दपतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

SDO (प्रशासनिक विभागों में)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदस्थ
सहायक कमिश्नर जैतारण (पाली)